न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/46/2019	01–10–2019	10–11–2020

01. मूलचन्द पुत्र मनीराम जाति अहीर निवासी ग्राम खरखडा तहसील बहरोड, अलवर।

अपीलान्ट

वनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बहरोड।
02. जोरावर सिंह पुत्र श्योसहाय जाति अहीर निवासी ग्राम खरखडा तहसील बहरोड, अलवर। (मृतक)

2/1. निहाल सिंह पुत्र जोरवर सिंह अहीर खरखडा तहसील बहरोड।
2/2. महेन्द्र पुत्र जोरवर सिंह अहीर खरखडा तहसील बहरोड।
2/3. रामचन्दर पुत्र रामसिंह पौत्र जोरवर सिंह अहीर खरखडा तहसील बहरोड।
2/4. धासीराम पुत्र रामसिंह पौत्र जोरवर सिंह अहीर खरखडा तहसील बहरोड।
2/5. श्रीमती दडकली बेवाह जोरवर सिंह अहीर खरखडा तहसील बहरोड।

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बहरोड दिनांक 27–02–2000 बावत इन्तकाल सं0 6 वाके ग्राम खरखडा तहसील बहरोड जिला अलवर।

उपस्थित :–

01. श्री सुरेश चन्द शर्मा —वकील अपीलान्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड के आदेश दिनांक 27–02–2000 जिसके द्वारा इन्तकाल सं0 06 वाके ग्राम वाके ग्राम खरखडा तहसील बहरोड जिला अलवर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पा0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। बहस सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत ने अपीलान्ट के पीछे से बिना सुने एवं बिना जांच किये हुए रैस्पा0 संख्या–2 से मिली भगत से एकतरफा में अपीलीय निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 24 व 34 वाके ग्राम बसई तहसील बहरोड में स्थित है जिस आराजी के रैस्पा0 संख्या–2 जोरावर सालिग राम व श्योराम पुत्र श्योसहाय अहीर खातेदार काश्तकार थे। सालिगराम का देहान्त हो चुका है उनके वारिसान रोहिताश, रामनिवास, महावीर, व कृष्ण कुमार ने अपना 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के

द्वारा दिनांक 14.09.1987 को अपीलान्ट मूलचन्द के बेच दिया तथा श्योराम ने अपना 1/3 हिस्सा जरिये विक्रयम पत्र दिनांक 14.09.1987 को रामसहाय को बेच दिया तथा शेष 1/3 हिस्सा जोरावर का था। जोरावर व अपीलान्ट के मध्य दौराने बन्दोबस्त अपनी–अपनी कुछ आराजी का पारिवारिक समझौता के द्वारा बदले का लिखित में समझौता अपीलान्ट व रैस्पा0 संख्या 2 के मध्य अपनी–अपनी आराजी को बदलने का हुआ उसे बन्दोबस्त के समय अधिकारियों के समस्त प्रस्तुत किया जो जांच व गौर समझौता स्वीकार करने के पश्चात् आदेश पारित किया, जिस आदेश पर अपीलान्ट व रैस्पा0 संख्या 2 व अन्य काश्तकारों के हस्ताक्षर है। आदेश के तहत आराजी का राजस्व रिकार्ड में अमल कर दिया गया था। राजस्व रिकार्ड में अमल होने के पश्चात जोरावर अहीर का आराजी खसरा नम्बर 24 व 34 का खातेदार काश्तकार नही रहा और ना ही आराजी पर कब्जा वर्तमान में है, सम्पूर्ण आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है। तहत अदालत ने इन्तकाल तस्दीक करते समय बखूबी ज्ञान था कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है। रैस्पा0 संख्या 2 को आराजी से कोई लेना देना नही है फिर भी रैस्पा0 संख्या 2 से मिली भग करके गैर कानूनी व फर्जी की जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित है। तहत अदालत ने बिना जांच किए अपीलीय निर्णय पारित कर अहम कानूनी भूल की है। इन्तकाल दर्ज व निर्णित कर दिया जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 02.06.2014 को हुई जिस पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल लेकर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जाकर स्वीकार फरमाई जावे। अपने कथन की पुष्टी में 100/–रूपये के स्टाम्प पर लिखित इकरारनामा (समझौता पत्र) दिनांक 12.5.2016 जो रैस्पा0 संख्या 2/1 लगायत 2/5 के हस्ताक्षर युक्त पेश किया।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 27–02–2000 के विरूद्ध दिनांक 17.06.14 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 14 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है रेस्पौ0 ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं। अपीलान्ट वकील ने अपील के कथन की पुष्टी में जो इकरारनामा (समझौता पत्र) पेश किया उस पर रैस्पा0 संख्या 2/1 ला0 2/5 ने उक्त आराजीयात के हम प्रथम पक्षकारों के पिताजी, दादाजी, पति जोरावर का 1/3 हिस्सा द्वितीय पक्षकार मूल चन्द व रामसहाय पुत्रान मीनाराम जाति अहीर निवासी खरखडा के नाम बराबर हिस्से में इन्तकाल चढा दिया जावे हम को किसी प्रकार का एतराज नही होगा।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार बहरोड का आदेश दिनांक 27–02–2000 बाबत इन्तकाल संख्या 6 ग्राम खरखडा तहसील बहरोड निरस्त किया जाकर तहसीलदार बहरोड को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विधि अनुसार पक्षकारान को सुनकर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति तहसीलदार बहरोड को तहत रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10–11–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर, अलवर